

7/1/20

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी 34,
नही वकील वादी को रोक-थोक कर,
5.30 P.M. तक आज्ञा भगवई गई।
वकील वादी या उनका कोई प्रतिनिधि
उप. नहीं। अतः वादी का वाद अदम
पेशी अदम हाजरी में खारीज किया
जाकर पत्रावली फौजदारी नुमाद होकर
पत्रावली नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (जयपुर)

